Volume: 5 Issue: 4 Pages: 66-69

स्वतंत्रता के समय भारत में प्रमुख देशी रियासतें

(जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का ऐतिहासिक अध्ययन)

[*1] मोनिका कुमारी शोधार्थी एवं [2]डॉ. सोनू सारण

[*1] रिसर्च स्कॉलर, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबडेवाला विश्वविद्यालय चुड़ैला झुंझुनूं राजस्थान, भारत।

[2] एसोसिएट प्रोफेसर, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबडेवाला विश्वविद्यालय चुड़ैला झुंझुनूं राजस्थान, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (QJIF): 8.4
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 16/March/2026
Accepted: 16/April/2026

***Corresponding Author**
डॉ. सोनू सारण
रिसर्च स्कॉलर, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबडेवाला विश्वविद्यालय चुड़ैला झुंझुनूं राजस्थान, भारत।

सारांश

ब्रिटिश काल के दौरान भारत की देशी रियासतों पर परोक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का नियंत्रण था। सन् 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब यहाँ 565 रियासतें थी। मुगल तथा मराठा साम्राज्यों के पतन के परिणामस्वरूप भारत बहुत छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व मुस्लिम और हिन्दू दो प्रकार के शासकों के अधीन ये रियासतें थीं। 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने पर इन सभी रियासतों को भारत और विभाजन के बाद बने मुल्क पाकिस्तान में मिला लिया गया। 15 अगस्त 1947 से पूर्व जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों का विलीनीकरण का कार्य सम्पन्न हो चुका था। इन तीन रियासतों का विलय आजादी के बाद हो पाया।

मुख्य शब्द: रियासत, रजवाड़े, विलीनीकरण, नरेशमण्डल, रजाकार, भारतीय संघ, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अधिराज्य आदि।

प्रस्तावना:

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में नाममात्र के स्वायत्त राज्य थे। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में 'रियासत', 'रजवाड़े' या व्यापक अर्थ में देशी रियासत कहते थे। ये ब्रिटिश शासन द्वारा सीधे शासित नहीं थे, बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित थे। परन्तु उन भारतीय शासकों पर परोक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का ही नियंत्रण रहता था। सन् 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब यहाँ 565 रियासतें थी। [1] इनमें से अधिकांश रियासतों ने ब्रिटिश सरकार से लोकसेवा प्रदान करने एवं टैक्स वसूलने का ठेका ले लिया था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने पर इन सभी रियासतों को भारत और विभाजन के बाद बने मुल्क पाकिस्तान में मिला लिया गया। 15 अगस्त 1947 से पूर्व जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों का विलीनीकरण का कार्य सम्पन्न हो चुका था। इन तीन रियासतों का विलय आजादी के बाद हो पाया।

विलीनीकरण से पूर्व भारत की रियासतें

मुगल तथा मराठा साम्राज्यों के पतन के परिणामस्वरूप भारत बहुत छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व मुस्लिम और हिन्दू दो प्रकार के शासकों के अधीन ये रियासतें थीं-

मुस्लिम रियासतें

इसके अंतर्गत सिंध, भावलपुर, दिल्ली, अवध, रूहेलखण्ड, बंगाल, कर्नाटक, मैसूर, हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़ और सूरत आदि आते थे। यहाँ के शासक मुस्लिम थे।

हिन्दू रियासतें

इसके अंतर्गत असम, कछार, जयंतिया, तंजौर, कुर्ग, ट्रावनकोर, सतारा, कोल्हापुर, नागपुर, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, राजपुताना, बुंदेलखण्ड, बघेलखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, काठियावाड, मध्य भारत और हिमाचल प्रदेश आदि आते थे। यहाँ पर हिन्दू शासकों का शासन था। इन दो प्रकार के शासकों के अतिरिक्त कुछ सिक्खों के भी राज्य थे जैसे पंजाब एवं सरहिन्द।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध सर्वप्रथम व्यापार के उद्देश्य से सूरत, कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल आदि समुद्रतट पर स्थित राज्यों से

हुए। तदन्तर फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष के समय राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्रेरणा मिली। इसके फलस्वरूप साम्राज्य निर्माण का कार्य 1757 ई. से प्रारंभ होकर 1856 तक चलता रहा। इस एक शताब्दी में देशी राज्यों के आपसी झगड़ों से लाभ उठाकर कंपनी ने अपनी कूटनीतिक सैनिक शक्ति द्वारा सारे भारत पर सार्वभौमिक सत्ता स्थापित कर ली। अनेक राज्य उसके साम्राज्य में विलीन हो गए। अन्य सभी उसका संरक्षण प्राप्त करके कम्पनी के अधीन बन गए। यह अधीन राज्य रियासत कहे जाने लगे। इनकी स्थिति उत्तरोत्तर असंतोषजनक तथा डाँवाडोल होती गई। रियासतों की शक्ति क्षीण होती गई, उनकी सीमाऐं घटती गई और स्वतंत्रता कम होती चली गई। [2]

1757 से 1856 तक की स्थिति

1756 तक कर्नाटक और तंजावुर क्षेत्र ब्रिटिश कम्पनी के अधीन हो गए। 1757 में बंगाल भी उसके प्रभाव क्षेत्र में आ गया। 1761 तक हैदराबाद का निजाम भी उसका मित्र बन गया। 1765 में बंगाल की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इसी वर्ष इलाहाबाद की संधि द्वारा दिल्ली के सम्राट शाहआलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ कंपनी की मैत्री हो गई तथा भारतीय रियासतों के साथ उसके संबंधों का वास्तविक सूत्रपात हुआ।

1857 की क्रांति - लार्ड एलनबरो ने सिंध जीत लिया तथा ग्वालियर की सैनिक शक्ति नष्ट कर दी। लार्ड हार्डिंग ने पंजाब की शक्ति संकुचित कर दी तथा जम्मू और कश्मीर के राज्य का निर्माण किया। [3] लार्ड डलहौजी के समय में रियासतों पर विशेष प्रकोप आया उसने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर तथा करौली के शासकों को पुत्र गोद लेने के अधिकार से वंचित करके उनके राज्यों को हड़प लिया। हैदराबाद से बरार ले लिया गया तथा कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इन आपत्तिजनक नीतियों के कारण रियासतों में असंतोष फैल गया जो 1857 की सशस्त्र क्रांति का कारण बना।

महारानी विक्टोरिया की अधीनता में - 1876 में देशी शासको ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी मानकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तदन्तर ब्रिटिश शासन की ओर से उन्हें उपाधियाँ दी जाने लगी। बीसवीं सदी के प्रारंभ से स्वाधीनता प्राप्ति तक- प्रथम विश्व युद्ध में रियासतों ने ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण सहायता दी। 1919 के अधिनियमानुसार 1921 में नरेशमण्डल बना जिसमें रियासतों के शासकों को अपने सामान्यहितों पर वार्तालाप करने तथा ब्रिटिश सरकार को परामर्श देने का अधिकार मिला। 1926 में लार्ड रीडिंग ने ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता पर बल देते हुए देशी शासकों को ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी घोषित किया जिससे वे अप्रसन्न भी हुए। इसलिए 1929 में बटलर कमेटी रिपोर्ट में सार्वभौम सत्ता की सीमाऐं निश्चित कर दी गई। 1930 में नरेशमण्डल के प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद - 1947 में भारत की आजादी के समय अंग्रेज सरकार सभी रियासतों को विकल्प दिया कि-वे भारत या पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र रह सकती हैं। [4]

अधिकतर राज्यों ने भारत या पाकिस्तान में विलय को स्वीकार कर लिया सिवाय जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मूकश्मीर, बिलासपुर, भोपाल और त्रावणकोर के जिन्होंने पहले आजाद रहने का फैसला लिया था पर बाद में इन सभी राज्यों को भारत या पाकिस्तान में मिला लिया गया।

इस सबका परिणाम यह हुआ कि सरदार पटेल 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही तीन रियासतों को छोड़कर शेष समस्त रियासतों के शासकों से भारत संगठन में शामिल होने की स्वीकृति प्राप्त कर चुके थे।

जूनागढ़

जूनागढ़ काठियावाड का एक छोटा सा राज्य था जो कि सरदार पटेल के गृह राज्य गुजरात की एक सम्पन्न रियासत थी। इसकी 80 प्रतिशत जनता हिन्दू थी जबकि जूनागढ़ का शासक मुसलमान था। जूनागढ़ का पाकिस्तान से कोई भौतिक सम्पर्क नहीं था। जूनागढ़ का नवाब मुहम्मद महाबत खान्जी अस्थिर चित्त व्यक्ति था। उसका दीवान शाहनवाज भुट्टो ही समस्त शासन का संचालन करता था। नवाब सदा आमोद-प्रमोद में डूबा रहता था।

जूनागढ़ के शासक ने अपने राज्य का पाकिस्तान में विलय का निर्णय किया 24 सितम्बर को पटेल के आदेश पर भारतीय सेना ने एक टुकड़ी जूनागढ़ की सीमा पर तैनात कर दी। [5] विलय के उपरान्त पाकिस्तान ने असामाजिक तत्वों को जूनागढ़ भेजकर वहाँ की जनता पर अत्याचार प्रारंभ कराए। जनता ने भारत से रक्षा की पुकार की और अत्याचारों के विरूद्ध उठ खड़ी हुई। संघर्ष के उपरांत शीघ्र ही जूनागढ़ के लोग विद्रोह पर उतारू हो गए जिसका नेतृत्व साँवलदास गाँधी कर रहे थे। साँवलदास गाँधी के नेतृत्व में संगठित प्रजा की सेना एकाएक आगे बढ़ने लगी और वहाँ के नवाब को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य करने लगी। 25 अक्टूबर 1947 को नवाब पाकिस्तान भाग गया और उसने विलय और प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। तदुपरान्त 9 नवम्बर 1947 को वहाँ के प्रधानमंत्री शाहनवाज भुट्टो ने भारत से शासन सम्भालने का अनुरोध किया और वह स्वयं भी पाकिस्तान भाग गया।

9 नवम्बर को भारत सरकार ने जूनागढ़ पर अधिकार कर लिया। परिणामस्वरूप भारत सरकार ने साँवलदास गाँधी के नेतृत्व में यहाँ तीन सदस्यों वाली सरकार स्थापित की।

हैदराबाद

भारतीय संघ में हैदराबाद का महत्व बहुत अधिक था। यह भारत का सबसे बड़ा राज्य था। 82 हजार वर्ग मील क्षेत्रवाली इस रियासत की जनसंख्या उस समय 1.75 करोड़ के लगभग थी। इस आबादी में 85 प्रतिशत हिन्दू थे और लगभग 15 प्रतिशत मुस्लिम। निजाम भारत से अलग एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता था तथा भारत सरकार को बातचीत में उलझाए रख कर वह अपनी ताकत बढ़ा रहा था। [6]

हैदराबाद में एक बड़ी समस्या रजाकारों की थी। ये 'इत्ते हादुल अमीन' नाम की संस्था के सदस्य थे। इनके नेता कासिम रिजवी ने अपने हथियारबंद सदस्यों के साथ मिलकर रियासत में बसे हिन्दुओं पर भयंकर अत्याचार करने शुरू कर दिए। हैदराबाद की स्थिति दिनों-दिन बिगड़ती जा रही थी। हैदराबाद के रजाकारों की हरकतें बढ़ती ही जा रही थीं उनके गिरोह न केवल रियासत के हिन्दुओं पर अत्याचार ढ़ा रहे थे, बल्कि भारतीय सीमा में घुसकर पड़ौस के राज्यों में भी उत्पाद मचा रहे थे। रियासत की 85 प्रतिशत हिन्दू जनता रजाकारों के अत्याचारों से त्रस्त थी और भारत में विलय चाहती थी।

सरदार पटेल हैदराबाद की हलचल पर निरंतर निगाह रखे हुए थे। वह शीघ्र ही कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रहे थे। उधर रजाकारों के हौसले इतने बढ़ गए कि उन्होंने सीमा के निकटवर्ती एक भारतीय गाँव पर हमला कर दिया। प्रतिरोध करने पर उन्होंने पांच पुलिसकर्मियों को मार डाला। फलस्वरूप भारत सरकार ने सैनिक कार्यवाही आवश्यक समझा और सरदार पटेल ने 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेनाओं को हैदराबाद राज्य पर चढ़ाई करने का आदेश दिया।

अन्ततः हैदराबाद पर मेजर जनरल जे.एन.चैधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने दो ओर से चढ़ाई की। मुख्य सेना शोलापुर हैदराबाद मार्ग से और दूसरी टुकड़ियाँ बैजबाड़ा-हैदराबाद मार्ग से चलीं। 13 और 14 सितम्बर को ही सेना को कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ा।

भारतीय सेना ने हैदराबाद की सेना को जगह-जगह पराजित करते हुए हैदराबाद राजधानी तक पहुँचने में तीन दिन लगे। [7]

इस 5 दिन की कार्यवाही के बाद 18 सितम्बर 1948 को हैदराबाद रियासत की फौज में कमांडर मेजर जनरल एल.एड्रस ने भारतीय सेना के कमांडर मेजर जनरल जे.एन. (जयंतोनाथ) चैधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा रजाकारों का संगठन तोड़ दिया गया एवं लायक अली मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री लायक अली सहित मंत्रियो निजाम आदि को नजरबन्द करने और के.एम.मुंशी को मुक्त कराने के बाद 18 सितंबर 1948 को जनरल जे.एन.चैधरी को हैदराबाद का सैनिक गवर्नर बना दिया गया। इस कार्यवाही में लगभग 800 लोग मारे गए हालांकि रजाकारों ने रियासत के हिन्दुओं के साथ हत्या, लूट और बलात्कारों का जो दौर चलाया, उसकी तुलना में यह संख्या नगण्य ही थी।

22 सितम्बर 1948 को निजाम ने समुद्री तार भेजकर सुरक्षा परिषद से हैदराबाद का मामला उठा लिया एवं निजाम ने अंतिम रूप से 21 नवंबर को हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार यह विशाल राज्य भारतीय संघ में मिल गया। भारत सरकार ने इस गुप्त सैनिक कार्यवाही का नाम 'ऑपरेशन पोलो' रखा।

जम्मू कश्मीर

भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ सटे होने के कारण जम्मूकश्मीर की स्थिति बड़ी संवेदनशील थी। जम्मू कश्मीर राज्य की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी लेकिन शासक हिन्दू था। अन्य देशी रियासतों की भाँति जम्मू कश्मीर को भी अपना फैसला भारत की स्वतंत्रता यानि 15 अगस्त 1947 के पूर्व करना था। लेकिन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरिसिंह की स्वतंत्र कश्मीर आकांक्षा ने जम्मू कश्मीर राज्य का किसी भी अधिराज्य में विलय करना स्वीकार नहीं किया।

महाराजा हरिसिंह ने कश्मीर को स्वतंत्र रखने की नीयत से दोनों देशों के साथ संपर्क बनाए रखने और दोनों में से किसी के साथ भी विलय न करने की नीति अपनाई। इसी समय पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए 51,000 कबाइली आक्रमणकारियों ने जम्मूकश्मीर पर कब्जा कर लिया, श्रीनगर, वारामूला घाटी और कश्मीर के अधिकांश प्रदेश पर पाकिस्तान का अधिकार हो गया। परिस्थितियों से बाध्य होकर महाराजा हरिसिंह ने भारत सरकार से सैनिक सहायता भेजने का अनुरोध किया।

भारत सरकार ने कश्मीर में सेना भेजने का निर्णय लिया। महाराजा हरिसिंह को यह आशा नहीं थी के इस प्रकार संकट के समय भारत सरकार एकाएक उनकी रक्षा कर सकेगी। परन्तु भारत सरकार ने बड़ी तेजी से कार्यवाही की। परिणामस्वरूप सरदार पटेल और रक्षा मंत्री सरदार बल्देव सिंह को हवाई मार्ग से सेनाएं भेजनी पड़ी। जिन्हें कश्मीर घाटी के केन्द्रीय प्रदेश जहाँ तक अभी कबाइली कब्जा नहीं हुआ था, में 27 अक्टूबर को उतारा गया। [8] भारतीय सेना ने केंद्र से चारों ओर बढ़ती पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलने का काम शुरू किया जो कठिन युद्ध नीति के विपरीत था।

राजा हरिसिंह के 26 अक्टूबर 1947 के विलय पत्र के अनुसार जम्मू कश्मीर पर भारत का वैधानिक अधिकार था और उस नाते समूची रियासत से आक्रमणकारी घुसपैठियों को खदेड़ बाहर करना भारत का वैध अधिकार था। 2 नवम्बर, 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों पक्षों को युद्ध विराम का आदेश देते हुए कहा कि जो जैसा है वैसे ही रहे और उसे नियंत्रण रेखा माना जाए, इस आदेश के बाद भारतीय सेना को मजबूरन अपने बढ़ते कदम रोकने पड़े और इसके साथ ही भारत को अफगानिस्तान, चीन तथा मध्य एशिया को जोड़ने वाले सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण 52,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल वाले 'गिलहिट-बालिस्तान व काराकोरम' को हमेशा के लिए खोना पड़ा, जिसमें से काराकोरम का 7200 वर्ग कि.मी. का भू-भाग 1963 में पाकिस्तान द्वारा चीन को भेंट कर दिया गया। शेष भाग को पाकिस्तान द्वारा 'पाक अधिकृत कश्मीर या आजाद कश्मीर' का नाम दिया गया जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद में है।

सरदार पटेल चाहते थे कि यदि एक-दो दिन का समय भारतीय सेना को और मिल जाता, तो वह पूरा कश्मीर कबाइलियों और पाकिस्तानी सैनिकों से खाली करवा कर भारत में विलय करवा लेते। सरदार पटेल का कहना था कि ये दो देशों का आंतरिक मुद्दा है, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की बजाय आपस में निपटा लेना चाहिए। भारतीय गणराज्य में जम्मू कश्मीर राज्य के शासक महाराजा हरिसिंह के विलय के उपरांत कश्मीर के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता शेख मु. अब्दुल्ला के हाथों में सरकार की सत्ता आ गई। शेख मु.अब्दुल्ला इस बात से संतुष्ट नहीं हुए और महाराजा हरिसिंह को राज्य छोड़ने की बात पर अड़े रहे, ताकि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। लेकिन सरदार पटेल के अनुसार महाराजा को पदच्युत करना नैतिक रूप से ठीक नहीं था। महाराजा बम्बई में रहने चले गए, जबकि उनके पुत्र युवराज कर्णसिंह अव्यस्क उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करने लगे। [9]

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद की थी, लेकिन महाशक्तियों के हाथ का खिलौना संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के साथ न्याय न कर सका। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जितने भी प्रस्ताव पारित किए, उन सब में पाकिस्तान को आक्रमणकारी घोषित नहीं किया, बल्कि सभी प्रस्ताव भारत विरोधी पारित किए, जिन्हें भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में सौंपने से पूर्व भारत की ओर से पं. नेहरू रियासत में सामान्य स्थिति बहाल होने पर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण के पर्यवेक्षण में जनमत संग्रह का वायदा आकाशवाणी से एवं भारतीय संसद में कर चुके थे। चूंकि मसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपे जाने के कारण इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका था। अतः वहाँ लड़े जा रहे युद्ध, जनमत संग्रह के वायदे एवं इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए इस रियासत पर भारत की अन्य रियासतों की भाँति संविधान की धारा 238 लागू न करके अस्थाई उपबन्ध के रूप में धारा 370 का प्रावधान किया गया था। धारा 370 भारतीय संविधान का एक ऐसा कानून है जिसके तहत जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष दर्जा प्राप्त है।

जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना

जम्मू कश्मीर के साथ भारत के अन्य राज्यों से अलग व्यवहार किया जाता था। अनुच्छेअ 370 के कारण संसद को जम्मू कश्मीर रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन संविधान की अधिकतर धाराऐं लागू नहीं होती थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत देष में वित्तीस आपातकाल लागू करने का प्रावधान है। लेकिन यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। 5 अगस्त, 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 और 35ए को निरस्त कर दिया गया। इस निर्णय के तहत राज्य का पुनर्गठन कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया।

निष्कर्ष:

भारत में स्वतंत्रता के समय 565 देशी रियासतें अर्ध स्वायत्त थी, इन पर ब्रिटिश क्राउन का नियन्त्रण था। ये रियासतें राजस्थान, गुजरात, मध्यभारत और दक्षिण भारत के हिस्सों में फैली हुई थी। इन रियासतों को भारत संघ में शामिल करने के लिए प्रिवी पर्स जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई। सरदार पटेल और वी.पी. मेनन ने कूटनीति और दबाव का उपयोग करके अधिकांश राजाओं को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया।

सन्दर्भ सूची:

1. गुप्त, विश्व प्रकाश और गुप्त, मोहिनी (1999) - सरदार वल्लभभाई पटेल व्यक्ति और विचार, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ.133
2. राणा, डॉ. भवानसिंह (1990) - लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डायमंड पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली, पृ.80
3. राणावत, मनोहर (2000) - देशी रियासतों में स्वतंत्रता आन्दोलन (राजस्थान, मध्यप्रदेष, गुजरात) सिंह प्रताप शोध प्रतिष्ठान, विद्या प्रचारिणी सभा, भूपाल नोबल्स संस्थान, उदयपुर, पृ. 62-71
4. गुप्त विश्व प्रकाश और गुप्त मोहिनी (1999) - सरदार वल्लभभाई पटेल व्यक्ति और विचार, पृ.135
5. वही, पृ. 138
6. राणा, डॉ. भवानसिंह (2017) - लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रभात प्रकाशन, पृ. 122
7. कुमार, रवीन्द्र (1991)- सरदार वल्लभभाई पटेल के सामाजिक व राजनैतिक विचार, मितल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ.142
8. पटेल, रावजी भाई (2012)- हिन्द के सरदार, नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद, पृ.303
9. चैपड़ा, सं. पी.एन.चैपड़ा, प्रभा (2015) - सरदार पटेल, कश्मीर एवं हैदराबाद, प्रभात प्रकाशन, पृ.27